

# कार्यालय: संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर


## कार्यालय आदेश

वित्त विभाग (नियम खण्ड) की अधिसूचना सं. प.11 (7) वित्त नियम 2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 19 एवं वित्त (नियम) विभाग के अधिसूचना क्रमांक: F 14 (88) FD (Rules) 2008-I Date 31-12-2009 एवं नियम 14 वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक: F 15 (1) FD / Rules / 2017 Date 30-10-2017, 09-12-2017 के अनुसार निम्नांकित कर्मचारियों के आश्वासित कैरियर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत उन्नतिकरण का लाभ निम्न शर्तों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

संबंधित संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी वेतन निर्धारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि :-

- 1 कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के अन्तर्गत वेतन बैंड और ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहा है/नियम 14 वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक: F 15(1)FD/Rules/ 2017 Date 30.10.2017 एवं 9.12.2017 में पे मैट्रिक्स लेवल न0 प्राप्त कर रहा है।
- 2 उपरोक्त स्वीकृति वित्तीय उन्नतिकरण के अन्तर्गत वेतन, ग्रेड वेतन, पे मैट्रिक्स लेवल का निर्धारण आदेश की प्रविष्टि की जायेगी।
- 3 संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण आदेश की प्रविष्टि की जायेगी।
- 4 संबंधित कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के बाद दो से अधिक सन्तान नहीं होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर अनुपालना सुनिश्चित करें।
- 5 संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर कोई विभागीय जॉच प्रस्तावित /लंबित नहीं हो, यह सुनिश्चित करें।
- 6 पदोन्नति का परित्याग करने वाले कार्मिकों की सूचना इस कार्यालय को भिजवाते हुए इनका वेतन आदेश क्रमांक प.20(1)एफ.डी. ग्रुप-2/92 (आर.पी. एस.सी. 89-11/96) दिनांक 04.12.96 के अनुसार किया जावे।
- 7 कार्मिक के विरुद्ध वेतन से संबंधित किसी प्रकार की वसूली हो तो उसका समायोजन किया जावे।
- 8 कार्मिकों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषजनक सेवा प्रमाण पत्र होने के आधार पर ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि का वा.का.मू. में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर वा.का.मू. (A.C.R) प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया जाकर तदनुसार सशोधन कर दिया जायेगा।
- 9 अनुदानित कार्मिकों को एसीपी का नगद लाभ राज्य सरकार में कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। दिनांक 30.06.2011 से पूर्व का नगद लाभ पूर्व अनुदानित संस्था से देय होगा।
- 10 कार्मिक के विरुद्ध यदि कोई विभागीय जांच लम्बित या प्रक्रियाधीन है तो उक्त आदेश निष्प्रभावी (Non- Effective) होंगे।

www.rajsevak.com



(प्रकाश चन्द्र जाटोलिया)  
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,  
बीकानेर संभाग बीकानेर

- क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/बीका/एसीपी/2020/ 448-451
- 1 श्रीमान् निदेशक महोदय, माशि/प्राशि, राजस्थान, बीकानेर।
  - 2 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
  - 3 कोषाधिकारी कोष कार्यालय, बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
  - 4 संबंधित सीबीईईओ कार्यालय.....।
  - 5 संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक श्री.....।
  - 6 रक्षित पत्रावली।

दिनांक : -17/12/2020



संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,  
बीकानेर संभाग बीकानेर

# कार्यालय: संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/बीका/एसीपी/2020/


448-451

दिनांक :

-17/12/2020

## कार्यालय आदेश

क.स.	नाम कार्मिक सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम	पदस्थापन स्थान	नियमित नियुक्ति/चयन तिथी	कुल नियमित सेवा वर्ष	वर्तमान आहरित पे बैंड / ग्रेड पे/पे मेट्रिक्स लेवल न0	स्वीकृति दिनांक	एसीपी में स्वीकृत पे बैंड/ग्रेड पे/पे मेट्रिक्स लेवल न0
1	कृष्ण कुमार	व.अ.	राउमावि, श्योपुरा बास 4 के.एस.आर, श्रीगंगानगर	08.01.2002	18 वर्ष	एल-11	08.01.2020	एल-12
2	उर्मिला पारीक	व.अ.	राउमावि, 4 एल.एम अनूपगढ़, श्रीगंगानगर	07.08.1993	27 वर्ष	एल-12	07.08.2020	एल-13
3	राजपाल कौर	व.अ.	राउमावि हिरणावाली 18 एम.एल, श्रीगंगानगर	02.07.1993	27 वर्ष	एल-13	02.07.2020	एल-14
4	शंकरलाल गोदारा	व.अ.	राउमावि, गोविन्दपुरा 18 जी.जी, श्रीगंगानगर	21.01.1993	27 वर्ष	एल-12	21.01.2020	एल-13



(प्रकाश चन्द्र जाटोलिया)  
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,  
बीकानेर संभाग बीकानेर